उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-40/2018/एस-2-1557/दस-2018-33(36)/2016

लखनऊ :: दिनॉक:: 03 जुलाई, 2018

<u>कार्यालय-आदेश</u>

श्री राज्यपाल, विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-'क' ज्येष्ठ वेतनमान, श्रेणी-एक, वेतनबैण्ड-3, वेतनमान रू0 15600-39100, ग्रेड वेतन रू0 7600/- में मौलिक रूप से नियुक्त निम्नलिखित अधिकारियों को विशेष वेतनमान, वेतनबैण्ड-4, रू0 37,400-67,000, ग्रेड वेतन रू0 8700/- (लेविल-13) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से पदोन्नत करते हुए, उनके वर्तमान पदों पर ही उनकी पदोन्नति के ग्रेड वेतन रू0 8700/- में कार्यभार ग्रहण कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्रमॉक	अधिकारी का नाम/ पदनाम
1	श्री अवनीश चन्द्र द्विवेदी, मुख्य सम्प्रेक्षा अधिकारी, सभी के लिए शिक्षा परियोजना, उ0प्र0 लखनऊ।
2	श्री संजय कुमार सिंह, मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
3	श्रीमती हिमानी चौधरी, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग उ0प्र0 लखनऊ।
4	श्री महेन्द्र कुमार मिश्रा, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।
5	श्री सम्पूर्णानन्द द्विवेदी, मुख्य कोषाधिकारी, गोण्डा।
6	श्री दीपांकर शुक्ला, मुख्य कोषाधिकारी, झॉसी।
7	श्री अश्वनी कुमार सिंह, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, सभी के लिए शिक्षा परियोजना, उ0प्र0 लखनऊ।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

2- उक्त नवपदोन्नत अधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वे पदोन्नति के पद का कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करा दें।

3- इस प्रोन्नति का प्रभाव वर्तमान तैनाती के पदनाम पर नही होगा। प्रोन्नत अधिकारियों द्वारा स्वत: परिवर्तित पदनाम के प्रयोग को शासन द्वारा कदाचार के रूप में संज्ञान लिया जायेगा।

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या-40/2018/एस-2-1557(1)/दस-2018-33(36)/2016, तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक/खादी एवं ग्रामोद्योग/औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0 शासन।
3- परियोजना निदेशक, सभी के लिए शिक्षा परियोजना, उ0प्र0 लखनऊ।
4- आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर/झाँसी/लखनऊ/गोण्डा ।
5- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, पेंशन/सामूहिक बीमा/एफ0ए0टी0आई, लखनऊ।
7- जिलाधिकारी, गोरखपुर/झाँसी/लखनऊ/गोण्डा ।
8- उपाध्यक्ष/सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।
9- प्रबन्ध निदेशक,खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
10- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
11- अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, झाँसी/गोण्डा/लखनऊ।
12- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ (कलेक्ट्रेट/जवाहर भवन), झाँसी/गोण्डा/गोरखपुर।
13- संबंधित अधिकारीगण।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
उप सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।